मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग अभियान/कैम्प कोर्ट)

पीठसीन अधिकारी :— श्रीमती शकुंतला चौधरी आर०ए०एस०

उनवान

1. देवीलाल पुत्र किशनलाल जाति जाट नि० नेठराना आदि बनाम 1. किशनलाल पुत्र रामचन्द्र जाति ब्राह्मण निवासी नेठराना आदि

दावा बाबत :— 88 RTAct

मुकदमा नम्बर :— 235/21

निर्णय दिनांक :— 16.12.21

वादी की ओर से वकील जगदीश महला की व प्रतिवादी सं0 — की ओर से वकील सतवीर पूनिया की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 16.12.21 को मुझ शकुंतला चौधरी उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि मुताबिक राजीनामा शुदा मौजा चक 7 NTR के खाता नं० 61/80 के मु० नं० 45, 46, 48, 50 की कुल 8.0960 है० जिसमें प्रतिवादी नं० 1 के नाम 135/2024 हिस्सा व चक 7 NTR के ही खाता नं० 11/67 के मु० नं० 50 के किला नं० 1/1, 1/2, 2/1, 2/2 की कुल 0.5065 है० में प्रतिवादी नं० 1 किशनलाल के नाम 1/6 हिस्सा राजस्व रिकार्ड दर्ज है उक्त दोनों खातों की वाद भूमि में प्रतिवादी नं० 1 किशनलाल का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण नं० 1 ता 3 को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चूंकि प्रतिवादी नं० 1 ता 6 ने अपना हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में त्याग का शुल्क कर लिया है इसलिए त्याग किये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क व कृषि भूमि बैंक रहन हेतो रहन मुक्त होने पर उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड को दुरुस्त किया जावे। राजीनामा को डिक्री का भाग पढा जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 16.12.21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुंतला चौधरी)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़